



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 चैत्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 302) पटना, सोमवार, 12 अप्रील 2021

IE 27@vkjki&01&89@2019&4372@lk0i0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

1 अप्रील 2021

श्री राजेश चौधरी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 592/2011, तत्कालीन अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था) पटना, सम्प्रति आयुक्त के सचिव, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां के विरुद्ध उनके पदस्थापन काल में दिनांक-14.01.2017 (मकर संक्रांति) को पतंगोत्सव के पश्चात् हुई नाव दुर्घटना के जांच प्रतिवेदन के आलोक में कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने संबंधी आरोप गृह विभाग, बिहार, पटना के गै.सं.प्रे.सं.-18 दिनांक-24.02.2017 द्वारा प्राप्त हुआ। गृह विभाग के अनुरोध के आलोक में श्री चौधरी के विरुद्ध आरोप गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। विभागीय पत्रांक-4983 दिनांक-26.04.2017 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण (दिनांक-02.05.2017) की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी और उसे असंतोषजनक पाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6160 दिनांक-23.05.2017 द्वारा श्री चौधरी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें संचालन पदाधिकारी के रूप में प्रमंडलीय आयुक्त, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा मनोनित पदाधिकारी को नियुक्त किया गया।

2. आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1210 दिनांक-22.10.2020 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री चौधरी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-757 दिनांक-18.01.2021 द्वारा श्री चौधरी से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में आयुक्त कार्यालय, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां के पत्रांक-525 दिनांक-11.02.2021 द्वारा श्री चौधरी का लिखित अभिकथन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री चौधरी का कहना है कि वे इस अवधि में स्वयं विधि व्यवस्था का अनुश्रवण कर रहे थे और यह घटना सारण जिला के सोनपुर क्षेत्राधिकार में घटी है। इस घटना के लिये पर्यटन विभाग सहित पटना एवं सारण जिला के पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच कहीं न कहीं समन्वय की कमी बतायी गयी है।

3. श्री चौधरी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री चौधरी द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गयी एवं समीक्षोपरांत श्री चौधरी के लिखित अभिकथन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है।

4. वर्णित स्थिति में श्री राजेश चौधरी, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 592/2011, तत्कालीन अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था) पटना, सम्प्रति आयुक्त के सचिव, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधान के तहत 2017 में दि. 15.04.2017 को, पूर्णियां में दि. 15.04.2017 को अधिरोपित/संसूचित की जाती है।

वर्णित स्थिति में श्री राजेश चौधरी, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 592/2011, तत्कालीन अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था) पटना, सम्प्रति आयुक्त के सचिव, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधान के तहत 2017 में दि. 15.04.2017 को, पूर्णियां में दि. 15.04.2017 को अधिरोपित/संसूचित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 302-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>